14/6/24 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 5, 6 की ओर से अधिवक्ता श्री महेश व्यास अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया वास्ते बहस [illegible] दिनांक 23/7/24 को पेश हो। तब तक T.I. आगे बढ़ाई जाती है।

14/06/24

23/7/24 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। बहस हेतु अवसर चाहा जो दिया गया। पत्रावली वास्ते बहस में दिनांक 30/7/2024 को पेश हो।

23/07/24

30/7/24 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। विपक्षीगण की ओर से दस्तावेज की सूची पेश प्रस्तुत की गई जिसको शामिल पत्रावली किया गया। वकील उभय पक्ष की बहस को सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेश निर्णय में दिनांक 6/8/2024 को पेश हो।

30/07/24

6/8/2024 पत्रावली पेश हुई। वकील [illegible] उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा [illegible] आर. सी. ए. प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.सी.ए. के तहत पेश किया गया जिसपर वकील प्रार्थी की →

[illegible] अधिकारी
डूंगला

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2024.09.10 17:16:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

# FORM NO. III

## फर्द अहकाम

## (नियम 26)

अदालत SDO डूंगला मुकाम SDO डूंगला

देवाराम बनाम मांगीलाल वगैरह

मुकदमा प्रार्थनापत्र 212/TA नं. 15/2024 सन्

| ...ख ...न | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | एक पक्षीय बहस अधिवक्ता की सुनी जाने के पश्चात विपक्षीगण के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का स्थगन आदेश जारी किया गया। विपक्षी संख्या 1 से 3, 5, 6 की तरफ से श्री महेश व्यास अधिवक्ता ने जवाब पेश किया गया जिसकी नकल वकील प्रार्थी को दिलाई गई पत्रावली बास्ते में नियत की गई। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस में कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 2 मे वर्णित आराजी नम्बर 331 प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की होकर इसमे 1/6 हकहिस्सा है। प्रार्थी के कब्जे काश्त मे विपक्षीगण दखल अन्दाजी एवं बाधा पैदा नही करें तथा किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नही करें आ. नं. 329 के खातेदार जो कि विपक्षीगण है प्रार्थी की आराजी नम्बर 332 के पड़ोस है इस आराजी मे विपक्षीगण प्रवेश कर कोई निर्माण संरचना नही करें मूल वाद के निस्तारण तक मौके की यथास्थिति बनाये रखने के लिए निवेदन किया गया है। विपक्षीगण के अधिवक्ता ने बहस फर्द दस्तावेज की सूची के साथ पटवार [illegible] पर्चा मौका [illegible] 6.2024 की प्रमाणित प्रति पेश [illegible] किया गया कि पटवार [illegible] दिनांक 20-6-2024 मे वर्णित आराजी नम्बर 329 रकबा 0.11 हे. भूमि को कि जो कि विपक्षीगण की | |

उपखण्ड अधिकारी
डूंगला

P.T.O.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2024.09.10 17:16:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर अहकाम हुक्म में जारी |
|---|---|---|
| | संयुक्त खातेदारी की है की पत्थरगढ़ी की गई तथा इस आराजी की व प्रार्थी की आराजी की नपती कर आराजी की सीमाओं पर निशानात कायम किये गये तथा पत्थरगढ़ी बिना किसी के कब्जे काश्त में दखल दिये की गई जिससे प्रार्थी एवं विपक्षीगण सन्तुष्ट है। विपक्षीगण अपनी संयुक्त खातेदारी आराजी में ही पशुओ के एवं घास के लिए निर्माण करना चाहते है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. खारीज किया जाने का आदेश किया जावे। बहस सुनने के पश्चात पत्रावली का मुलाहिजा से अवलोकन कर परीक्षण किया गया बाद परीक्षण उपरान्त पाया गया कि पर्चा मौका दिनांक 20-6.2024 के अनुसार विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी की खातेदारी आराजी में अतिक्रमण कर निर्माण कार्य नहीं करना स्पष्ट ज्ञात होता है। इसलिए प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया, सुविधा का सन्तुलन, अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. का अस्वीकार कर खारीज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। | |

उपखण्ड अधिकारी
10/8/24

Signature Not Verified

Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2024.09.10 17:16:04 IST
Reason: SelfAttested

कोर्ट अधि. की प्रतिलिपि ... रिपोर्ट ...

Scanned with OKEN Scanner